

प्रेषक,

गरिमा रौकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार / देहरादून / टिहरी / पौड़ी गढ़वाल।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय: गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा असंचालित राजस्व उपखनिज क्षेत्र के समर्पण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2281 / VII-1 / 2018 / 18 ख / 18, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पक्ष में जनपद हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत कुल 22 स्वीकृत राजस्व उपखनिज क्षेत्रों/लॉटों का समर्पण स्वीकार किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार उक्त उपखनिज क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से उक्त उपखनिज क्षेत्रों में से उपखनिज की चुगान हेतु feasible होने के संबंध में आख्या 01 सप्ताह के भीतर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार उक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,

(गरिमा रौकली)

संयुक्त सचिव

संख्या: 1407 (1) / VII-1 / 2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

उप सचिव

प्रेषक,

गरिमा रौकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय: गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा असंचालित राजस्व उपखनिज क्षेत्र के समर्पण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-342/खनन/भूखनिई०/ग०म०वि०नि०/2017-18, दिनांक 28 जून, 2018 एवं प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून के पत्र संख्या-464/दस/तीन-10 (2015-19), दिनांक 14 अगस्त, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पक्ष में स्वीकृत निम्न राजस्व उपखनिज क्षेत्रों का समर्पण स्वीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	जनपद	उपखनिज क्षेत्र/लाट	क्षेत्रफल (है०)
1.	हरिद्वार	अजीतपुर	—
2.	हरिद्वार	धोबीघाट	—
3.	हरिद्वार	भगवानपुर	—
4.	हरिद्वार	भोगपुर	—
5.	टिहरी गढ़वाल	रानीहाट	—
6.	टिहरी गढ़वाल	नैथाणा	—
7.	टिहरी गढ़वाल	जाखणी घिल्डियाल गांव	—
8.	देहरादून	यमुना 23/2	31.203
9.	देहरादून	आसन 14/4	35.405
10.	देहरादून	आसन 14/5	32.218
11.	देहरादून	आसन 14/6	32.709
12.	देहरादून	नून 8/1	7.500
13.	देहरादून	नून 8/2	7.600
14.	देहरादून	निम्मी 18/1	8.400
15.	देहरादून	चोरखाला	20.000
16.	हरिद्वार	मिस्सरपुर	74.208
17.	हरिद्वार	विशनपुर	137.450
18.	हरिद्वार	रायघटी ऐहतमल	61.232
19.	हरिद्वार	रायघटी मुस्तकम	14.000
20.	हरिद्वार	सज्जनपुर	10.000
21.	पौड़ी	नौगांव	10.157
22.	पौड़ी	सुखरो	27.853

भवदीया,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव

संख्या: 2281(1)/VII-1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी/देहरादून/पौड़ी।
2. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

उप सचिव